

सरकार की इस योजना से हर महीने 3000 पेंशन, किसानों के लिए वरदान! तुरंत देखें

वर्षिय सूची (Table of Contents):

- >> मुख्य अपडेट्स...
- >> क्या है पीएम किसान मानधन योजना?...
- >> पात्रता शर्तें (Eligibility)...
- >> कतिना देना होगा अंशदान?...
- >> आवेदन कैसे करें?...
- >> जरूरी दस्तावेज...
- >> अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)...

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY)के तहत किसानों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 की पेंशन दी जाती है। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के बुढ़ापे को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने का वादा करती है। इस पोस्ट में जानें पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और फायदे।

मुख्य अपडेट्स

- >> हर माह 3000 पेंशन 60 वर्ष के बाद आजीवन लाभ
- >> पात्रता: 18-40 वर्ष, 2 हेक्टेयर तक खेत, मासिक आय 15,000 से कम
- >> न्यूनतम अंशदान: केवल 55 प्रतिमाह (18 वर्ष पर)
- >> सरकार का योगदान किसान के अंशदान के बराबर
- >> पारिवारिक पेंशन: किसान के नधिन पर जीवनसाथी को 1500 माह
- >> आवेदन: CSC या ऑनलाइन maandhan.in पर

क्या है पीएम किसान मानधन योजना?

यह एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें किसान और केंद्र सरकार दोनों योगदान करते हैं। 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर किसान को 3000 प्रतिमाह पेंशन (सालाना 36,000) मिलती है। यदि किसान की मृत्यु हो जाती है, तो पत्नी को 1500 प्रतिमाह पारिवारिक पेंशन दी जाती है।

पात्रता शर्तें (Eligibility)

- >> आयु: 18 से 40 वर्ष के बीच
- >> खेती योग्य भूमि: 2 हेक्टेयर से कम
- >> मासिक आय: 15,000 से कम
- >> आयकर दाता या NPS ESIC EPFO के लाभार्थी पात्र नहीं

कतिना देना होगा अंशदान?

स्पेशल ऑफर: पीएम कृषि सममान नधि (6000 वर्ष) पाने वाले कृषि उसी राशिसे अंशदान कटवा सकते हैं। अलग से पैसे नहीं देने होंगे।

आवेदन कैसे करें?

- >> ऑफलाइन: नजदीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) पर जाएं।
- >> ऑनलाइन: maandhan.in पर आवेदन करें।

जरूरी दस्तावेज

- >> आधार कार्ड
- >> बैंक पासबुक
- >> खसरा खतौनी की कॉपी
- >> दो पासपोर्ट साइज फोटो

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

नहीं, योजना में शामिल होने की अधिकतम आयु 40 वर्ष है। 18 से 40 वर्ष के बीच ही आवेदन कर सकते हैं।

AAJTAKDNA.COM

<https://aajtakdna.com>

जब तक आप 60 वर्ष के नहीं हो जाते, तब तक हर महीने अंशदान देना होता है। 60 वर्ष के बाद पेंशन शुरू हो जाती है और कोई अंशदान नहीं देना पड़ता।

Reference Official Source:PM Kisan Mandhan Yojana Official Website